FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पप्पाराम विश्नोई पुत्र श्री भागूराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़सिटी जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** C1 /2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.11.21	वकील प्रार्थी ने प्रार्थी पप्पाराम विश्नोई की ओर से पुलिस थाना गोटन की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–262/2021 अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप चेसीस नम्बर MA1ZU2TNKM1G59937 इंजन नम्बर TNM1G75413 मय तेल की टंकी मय तेल व मोटर को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोडने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय नागौर को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को दिनांक 06.12.2021 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करावे। पत्रावली दिनांक 06.12.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
6.12.21	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी उप० व श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी उप०। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9.12.21 को पेश हो। कलक्टर,नागौर	
9/12/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद [illegible] उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अ[illegible] 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। [illegible] विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क [illegible] प्रथम सूचना [illegible] 262/2021 पुलिस थाना गो[illegible] वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप चेसीस [illegible] MA1ZU2TNKM1G59937 इंजन नम्बर TNM1G75413 मय तेल की टंकी मय [illegible]लियम पदार्थ व मोटर का प्रार्थी एक मात्र मालिक है, अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। उक्त वाहन मय तेल की टंकी को उक्त प्रकरण में गलत तौर पर जब्त किया गया है वाहन के लगी टंकी में 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ है। उक्त पदार्थ किसी भी सूरत में अवैध नहीं है न ही अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन प्रार्थी के कलक्टर,नागौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं. 61/2021 पप्पाराम विश्नोई v/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/12/21 (लगातार)	जीविकोपार्जन का साधन है। प्रार्थी माफिक न्यायालय हाजा के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हुए उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मय तेल की टंकी मय तेल व मोटर प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पुनिया प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग नागौर ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना गोटन की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2021 के अनुसार उक्त जब्तशुदा वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण में उक्त जब्तशुदा बोलेरो पीकअप वाहन 2500लीटर क्षमता का टेंकर बना है, उक्त टेंकर में 400लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो वाहन संख्या अंकित नहीं चेसीस नम्बर MA1ZU2TNKM1G59937 मय 400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, पांच लीटर क्षमता का लोहे का एक मापक व एक फिल्टर को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के राजसात करने हेतु प्रकरण रसद मामला संख्या 103/2021 सरकार बनाम राकेश उर्फ राजेश न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, इसलिए भी उक्त वाहन को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर छोड़ा जाना कतई उचित नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सीआरपी खारिज करने का निवेदन किया है। वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड एवं पुलिस केश डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना गोटन की रिपोर्ट दिनांक 09.12.2021 के अनुसार उक्त जब्तशुदा वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उक्त जब्तशुदा बोलेरो पीकअप वाहन 2500लीटर क्षमता का टेंकर बना है, उक्त टेंकर में 400लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है तथा उक्त जब्तशुदा वाहन व पेट्रोलियम पदार्थ आदि को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने हेतु रसद मामला संख्या 103/2021 सरकार बनाम राकेश उर्फ राजेश न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने से उक्त जब्तशुदा वाहन को जमानतनामा एवं सुपर्दगीनामा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पुलिस केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर यह पत्रावली रसद मामला संख्या 103/2021 के साथ नत्थी हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर, नागौर कलक्टर, नागौर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested